

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/ 655

दिनांक 15/10/18

:- आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2013-14 से 2017-18 मे चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1.	डॉ. हितेश रावत	21.08.1988	28.07.2017	27.07.2018	28.07.2018
2.	डॉ. सिध्या	17.03.1992	21.07.2017	20.07.2018	21.07.2018
3.	डॉ. तलपडा सोनल मनहरभाई	22.07.1974	20.07.2016	19.07.2017	20.07.2017
4.	डॉ. अजीत सिंह गुर्जर	02.07.1991	24.07.2017	23.07.2018	24.07.2018
5.	डॉ. सौरभ मीना	07.06.1988	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018
6.	डॉ. अन्जू	25.11.1986	28.07.2017	27.07.2018	28.07.2018
7.	डॉ. दिनेशपाल यादव	05.09.1988	28.07.2017	27.07.2018	28.07.2018
8.	डॉ. मोहम्मद उमर	06.07.1988	03.06.2016	29.08.2017 (118 EOL)	30.08.2017
9.	डॉ. छिगन सिंह बिरानियाँ	20.07.1990	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018
10.	डॉ. जगदीप खराडी	23.12.1984	17.07.2017	16.07.2018	17.07.2018
11.	डॉ. रविन्द्र मीणा	28.07.1992	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018
12.	डॉ. मुकेश मईडा	04.07.1992	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018
13.	डॉ. भूपेश खांट	16.01.1988	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018
14.	डॉ. भरतराम मीणा	13.07.1990	28.07.2017	27.07.2018	28.07.2018
15.	डॉ. अनिल कुमार मीणा	09.10.1986	21.07.2017	20.07.2018	21.07.2018
16.	डॉ. नीलम मईडा	17.02.1989	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018
17.	डॉ. विजय कुमार	22.07.1989	27.07.2017	26.07.2018	27.07.2018

11/10/18

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/ 605

दिनांक 15/10/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सकों की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

11.10.18

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर